का वार्षिक नवीकरण करवाना उनसे विज्ञापन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो नवीकरण पत्रों को 31 जुलाई, 1992 तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि विभाग द्वारा नवीकरण फार्म 28 अप्रैल, 1992 को या उससे पहले एकत्र कर लिए गए थे और पिछले नवीकरण पत्र की अवधि 30 जून, 1992 को समाप्त हो चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में 4000 से अधिक समाचारपत्र/पत्रिकाएं थीं, जिनसे "अनुबंध नवीकरण" के लिए ब्यौरा मांगा गया था तथा यह प्रक्रिया मई, 1992 के प्रारंभ से शुरू कर दी गई थी । उन सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को, जो पैनल में रखे जाने के मानदंडों को पूरा करते थे 1 जुलाई, 1992 से प्रभावी दर के अनुबंध पत्र भेजने का काम जुलाई, 1992 के मध्य से शुरू कर दिया गया है ।

डी.ए.वी.पी. द्वारा देय बकाया राशि

4758. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून 1992 की स्थिति के अनुसार डी.ए.वी.पी. को समाचार पत्रों की कुल कितनी राशि देनी बाकी है ; और

(ख) यह भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) 30 जून 1992 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के नाम समाचारपत्रों की देय कुल राशि का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । क्योंकि निदेशालय द्वारा समाचारपत्रवार लेखे नहीं रखे जाते । तथापि, भुगतान की प्रक्रिया को दोषरहित बनाया जा रहा है । आशा है कि सभी बकाया बिलों का भुगतान अविलम्ब कर दिया जाएगा ।

श्रीनगर दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले टेलीविजन सीरियल तथा प्रायोजित कार्यक्रम

4759. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 से लेकर 1992 की अवधि तक श्रीनगर (कश्मीर) दूरदर्शन पर कितने टेलीविजन सीरियल तथा प्रायोजित कार्यक्रम दिखाए गए;

(ख) उस अवधि के दौरान दिखाये गए कार्यक्रमों के निर्माताओं को कितनी धन राशि अदा की गई है तथा प्रत्येक निर्माता को किए गए भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को अनुमोदित करने तथा उनके लिए भुगतान करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण उपमंत्रालय में मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते ।

(ख) इस अवधि के दौरान कमीशंड कार्यक्रमों के लिए किए गये भुगतान का निर्माता-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. श्री रवि गोयल 14 लाख रुपए
2. श्री आयश आरिफ 4 लाख रुपए
3. श्री जमीर अशाय 3.5 लाख रुपए

4. श्री निवाज अहमद 4 लाख रुपए

5. श्रीमती एस. पवार 2.80 लाख रुपए

6. श्री आरिफ मोहम्मद 2.80 लाख रुपए

7. श्री इदरीस खान 3.5 लाख रुपए

(ग) और (घ) कमीशंड कार्यक्रमों का अनुमोदन दूरदर्शन महानिदेशालय में उपयुक्त लागत समिति द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य सरकारी अधिकारी होते हैं ।

Amount spent by the Directorate of Information and Publicity

4780. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what is the amount spent by the Directorate of Information and Publicity, Delhi Administration, on advertisements during 1991-92; and

(b) what is the value of advertisements given to the newspapers (language-wise) during the said period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) During 1991-92 the Directorate of Information and Publicity, Delhi Administration incurred an expenditure of Rs. 9,14,091/ on advertisements.

(b) The language-wise break up of expenditure is as follows:—

Hindi	Rs. 4,99,189/-
English	Rs. 2,40,384/-
Urdu	Rs. 79,629/-
Punjabi	Rs. 94,889/-
Total	Rs. 9,14,091/-

देश में निर्मित फिल्में

4761. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में किन-किन भाषाओं में कितनी-कितनी फिल्में बनी ;

(ख) सेंसर बोर्ड ने इनमें से किन-किन फिल्मों पर अपनी आपत्ति जाहिर की है ;

(ग) क्या सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रदर्शन लायक नहीं समझा गया ; और

(घ) वर्तमान में फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनका कार्यकाल कब तक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) चूंकि, भारत में फिल्मों का निर्माण मुख्यत: निजी क्षेत्र में होता है, इसलिए सरकार के पास देश में निर्मित फिल्मों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं रहती । तथापि, कैलेंडर वर्ष 1990 और 1991 के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्यूलाइड) का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) सूचना संकलित की जा रही है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिनांक 7 अक्तूबर, 1991 को पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम विवरण संलग्न 2 में दिए गए हैं (नीचे देखिये) बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होता ।